पत्रांकः— 04/NULM- 61(PF-1)/16/2016/......1597......

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः—

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत ।

पटना, दिनांकः ....05.7.17....

विषयः— **शहरी निराश्रितों के लिए नये आश्रय स्थल (Shelter for Urban Homless) के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सबंध में।**

प्रसंगः— **विभागीय पत्रांक— 309 दिनांक— 08.02.2017 एवं पत्रांक— 964 दिनांक— 13.04.2017।**

महाशय,

पत्रांक— 309 दिनांक— 08.02.2017 पत्रांक— 964 दिनांक— 13.04.2017

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि **DAY-NULM** योजना के अधीन शहरी निराश्रितों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु नये/अतिरिक्त आश्रय स्थल के निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश है। परन्तु नगर निकायों से अबतक नये या अतिरिक्त आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, जो अत्यंत खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि वाद संख्या— W.P.(Civil)-55/2003, E.R. Kumar & Anr बनाम भारत सरकार से संबंधित वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। यह भी विदित हो कि, नगर निकायों के अधीन शहरी निराश्रितों की संख्या के आकलन हेतु सर्वेक्षण कराने के संबंध में भी विभागीय पत्रांक— 1283 दिनांक— 01.06.2017 द्वारा निदेश जारी किया जा चुका है। सर्वेक्षण के माध्यम से आश्रय विहिनों की संख्या के आधार पर निर्मित किये जाने वाले आश्रय स्थलों की संख्या का आकलन भी नगर निकायों द्वारा किया जा सकेगा।

अतः निदेशित किया जाता है कि नगर निकायों के अधीन शहरी निराश्रितों का सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र संपन्न कराया जाय एवं नये/अतिरिक्ति आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु पूर्व में उपल्ब्ध कराये गये मॉडल डिजाईन के अनुरूप स्थल चयन करते हुए प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

3/7/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः— 04/NULM- 61(PF-1)/16/2016/....1597.... दिनांक— ....05.7.17....

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संबंधित नगर निकायों की मासिक समीक्षा अपने स्तर पर करते हुए नगर निकायों के माध्यम से नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3/7/2017

प्रधान सचिव

O/C